उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन विस्तार (चतुर्थ तल), 14– अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522–2287842, फैक्स : 0522–2287834ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com

पत्रांक :–1405/कार्य/चौदह/पाकालि/2010/3के0वी0/95 दिनांक/ 11.X1.2010

विषय : सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/निजी बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय/अनावासीय/एकतलीय/बहुतलीय भवन काम्पलेक्सों एवं कलोनियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

समस्त प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0
पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल
मेरठ/लखनऊ/वाराणसी/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन सं0 548/कार्य/चौदह/राविप 93–3के0वी0/95 दिनांक 24.04.1998, कार्यालय ज्ञापन सं0 385/कार्य/चोदह/पाकालि/2002 3केवी/95 दिनांक 18.03.2002 कार्यालय ज्ञापन सं0 1308/कार्य/चौदह/पाकालि/2001 3केवी/95 दिनांक 18.10.2001 एवं कार्यलय ज्ञापन सं0 757/कार्य/चौदह/पाकालि/2001–3केवी0/95 दिनांक 28.06.2001 द्वारा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों (विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद यू0पी0एस0 आई0डी0सी0, मण्डी समिति आदि) तथा निजी बिल्डरों एवं प्रमोटरों द्वारा विकास किये जाने वाले आवासीय एवं अनावासीय एकतलीय/बहुतलीय भवन कॉम्पलेक्सों एवं कलोनियों के विद्युत सम्बन्धी तन्त्र के अधिग्रहण किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

निगम के संज्ञान में आया है कि उक्त दिशा निर्देशों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, जिससे अधिग्रहण के शीघ्र बाद ही विद्युत तन्त्र में दोष आने लगता है एवं ब्रैक डाऊन होने पर विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के कारण उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप जहॉ एक ओर विभाग की छवि धूमिल होती है वही दूसरी ओर राजस्व की हानि भी होती है।

उपरोक्त सार्वजनिक, निजी प्रतिष्ठानों द्वारा विकसित किये गये विद्युत तन्त्र की तकनीकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त संदर्भित कारपोरेशन आदेशों के नैष्ठिक अनुपालन हेतु उपरोक्त के तारतम्य में यह आदेशित किया जाता है कि 11 के0वी0, 33 के0वी0 विभव के विद्युत तन्त्र पर निर्गत किये जाने वाले विद्युत संयोजनों हेतु निम्न प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये :–

1. आदेश संख्या 540–कार्य/चौदह(पी)/राविप/98–3के0वी0/95 दिनांक 24.04.1990 के बिन्दु 2 अ एवं ब पर सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम, वितरण संहिता 2005 (चतुर्थ संशोधन,2007,दिनांक 14 जून 2008 यथा संशोधित) के बिन्दु 4.8 में वर्णित समयावधि में सुनिश्चित करेंगे।
2. भार स्वीकृति के पश्चात् प्राकलन स्वीकृति सम्बन्धित कार्य विद्युत वितरण निगम द्वारा आदेश सं0 548/कार्य चौदह/राविप 93–3केवी/95 दिनांक 24.04.1998 के बिन्दु 3 एवं वितरण संहिता 2005 (चतुर्थ संशोधन,2007,दिनांक 14 जून 2008 यथा संशोधित) के बिन्दु 4.6 एवं 4.8 के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
3. सुपरविजन चार्जेज विकास कर्ता द्वारा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम को वितरण संहिता 2005 (चतुर्थ संशोधन,2007,दिनांक 14 जून 2008 यथा संशोधित) के खण्ड सं0 4.6 एवं 4.8 के अनुसार देय होगा।
4. समस्त लाइन निर्माण कार्य, सामग्री व उपकरणों का क्रय व स्थापना विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर किया जायेगा।

5. इनर्जी मीटर की आपूर्ति विद्युत वितरण निगम द्वारा की जायेगी, जिसकी पूर्ण लागत नियमानुसार उपभोक्ता से चार्ज की जायेगी।
6. समस्त सामग्री व उपकरण स्टैण्डर्ड कम्पनी/विक्रेता से क्रय किये जायेंगे जो रेस्पो तथा आई0एस0आई0 मानकों को पूर्ण करता हो तथा बिक्री कर एवं इन्कम टैक्स नियमों के अधीन पंजीकृत हो।
7. क्रय की गयी सामग्री व उपकरणों का मूल क्रय पत्र/बीजक आवेदक द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जमा करना होगा।
8. निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों/सामग्री का मानकों के अनुरूप अधिकृत संस्था द्वारा टेस्ट सर्टिफिकेट आवेदक को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में ट्रान्सफार्मर का भी टाईप टेस्ट प्रस्तुत करना होगा।
9. लाईन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री/पूर्ण किये गये कार्य में कमिशनिंग की तिथि से 18 माह तक किसी भी प्रकार का व्यवधान आने पर सामग्री के बदलने तथा पुनः लाईन को चालू कराने का दायित्व विकासकर्ता का होगा। वितरण परिवर्तक के सम्बन्ध में यह अवधि 18 माह के स्थान पर 36 माह होगी। विकासकर्ता द्वारा इसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. अनुमोदित ड्राइंग व लेआउट के अनुसार कार्य में प्रयोग होने वाले सामग्री के स्पेसीफिकेशन, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।
11. सम्पूर्ण सामग्री का निरीक्षण कार्य आरम्भ से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपखण्ड अधिकारी स्तर से कम का न हो, द्वारा किया जायेगा।
12. लाईन का निर्माण तथा उपकरणों की स्थापना पंजीकृत ठेकेदार द्वारा की जायेगी जिसका पंजीकरण संख्या, जो तत्सम्बन्ध कार्य हेतु निगम अथवा किसी अन्य राज्य निर्माण इकाई में पंजीकृत हो, विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराना होगा।
13. निर्मित विद्युत लाईन व उपस्थान तथा अन्य उपकरणों की स्थापना आदि का नियमानुसार इलैक्ट्रिकल निरीक्षण विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0प्र0 सरकार से निरीक्षण कराने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा एवं निरीक्षण कार्य तथा कार्य पूर्ण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त ही कृत कार्य निगम द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अधिग्रहण सम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा दी जायेगी एवं इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण) के कार्यालय में उपलब्ध रहे और आवश्यक प्रविष्टियॉ एक रजिस्टर में दर्ज की जाये, जिससे कि भविष्य में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ।५०५/ कार्य/चौदह/पाकालि/2010/3के0वी0/95 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. निदेशक, वितरण/वाणिज्य/वित्त/का0प्र0एवं प्रशा0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक व स्टाफ ऑफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/रेस्पो/सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, डिस्काम।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, डिस्काम।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, डिस्काम।

11/11/2010

संयुक्त सचिव (कार्य)